



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234213
CG-DL-E-15032022-234213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]
No. 202]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2022/फाल्गुन 24, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2022/PHALGUNA 24, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

सा.का.नि. 205(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत संशोधन नियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 में,—

(i) नियम के शीर्षक में, "टंगस्टन" शब्द के बाद, "और अन्य खनिज" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(4) ग्लॉकोनाइट और पोटैश के औसत बिक्री मूल्य पर पहुंचने के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा:

(i) ग्लौकोनाइट और पोटैश के लिए औसत विक्री मूल्य	= उर्वरक विभाग, भारत सरकार के मासिक बुलेटिनों में यथा प्रकाशित पोटैश (एमओपी) म्यूरिएट का घरेलू मूल्य।	X	ग्लौकोनाइट/पोटैश निक्षेप में K ₂ O अंतर्वस्तु का प्रतिशत।	X	0.4 (रूपांतरण कारक)।”
---	---	---	--	---	------------------------------

[फा. सं. एम. VI-16/91/2021-खान VI (भाग)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 279(अ) तारीख 04 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 775(अ) तारीख 2 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2022.

G.S.R. 205(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 45,—

(i) in the heading of the rule, after the word, “Tungsten”, the words “and other minerals” shall be inserted;

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(4) The following formula shall be used by Indian Bureau of Mines for arriving at the average sale price of Glaucosite and Potash:

(i) Average Sale Price for Glaucosite & Potash	= Domestic price of Muriate of Potash (MOP) as published in the monthly bulletins of Department of Fertilizers, Government of India.	X	Percentage of K ₂ O content in Glaucosite/Potash deposit.	X	0.4 (conversion factor).”
--	--	---	--	---	------------------------------

[F. No. M.VI-16/91/2021-Mines VI (Part)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note: The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 279(E) dated the 4th March, 2016 and lastly amended *vide* number G.S.R. 775(E), dated the 2nd November, 2021.